

# उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

के अन्तर्गत

लखनऊ, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा  
जोन की विभिन्न आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियाँ सामान्य  
आवंटन/नीलामी/ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का

## सुनहरा अवसर

### आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी का विवरण

● ई-नीलामी की तिथि	26.11.2021
● पंजीकरण व वांछित प्रपत्र अपलोड करने की अवधि	11.11.2021 से 22.11.2021
● वैध पात्रों द्वारा टोकन धनराशि जमा करने की अवधि	17.11.2021 से 25.11.2021

ई-नीलामी द्वारा निस्तारित होने वाली सम्पत्तियों हेतु  
ई-नीलामी पोर्टल <http://upavp.mjunction.in>

### आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों की सामान्य आवंटन/नीलामी 30.11.2021 को प्रातः 10:00 बजे से

नोट : 1) किसी भी ई-नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने तथा नीलामी की नियम व शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार आवास आयुक्त में निहित है। 2) निर्माण संबंधी नियम उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र. एवं वर्तमान में प्रचलित भवन निर्माण उपविधि के अनुरूप होंगे। 3) ई-नीलामी हेतु सील्ड बिड या ऑफ लाइन आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत विवरण यथा-शहर एवं योजना का नाम, सम्पत्ति का प्रकार, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, आवंटन/नीलामी स्थल एवं नियम व शर्तें इत्यादि परिषद की वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर उपलब्ध है।

कोविड महामारी के दृष्टिगत सामान्य आवंटन/नीलामी स्थल पर एक समय में प्रशासन द्वारा निर्धारित संख्या को ही प्रवेश दिया जायेगा एवं उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क, सैनेटाइजर तथा दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें : 033-66031798, 033-44091798 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 05.30) टोल फ्री : 1800-180-5333, 0522-2236803 (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10.00 से सायं 6.00),  
ई-मेल : [upavp.helpdesk@mjunction.in](mailto:upavp.helpdesk@mjunction.in)

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : [info@upavp.com](mailto:info@upavp.com)



IS 15700